

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-15062021-227622
SG-DL-E-15062021-227622

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165]	दिल्ली, सोमवार, जून 14, 2021/ज्येष्ठ 24, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 53
No. 165]	DELHI, MONDAY, JUNE 14, 2021/JYAISTHA 24, 1943	[N. C. T. D. No. 53

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 14 जून, 2021

फा. सं. 6/38/2019-न्याय/अधी.विधि./534-539.— अद्यतन यथासंशोधित दिल्ली न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 के नियम 18 के उपबंधों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से सुश्री दिशा सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा नियुक्त किए जाने पर अपने कार्यालय में कार्यभार सम्भालने की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा आधार पर दिल्ली न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं:-

- ये नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी आधार पर हैं तथा अभ्यर्थी के चरित्र पूर्ववृत्तों के सत्यापन तथा जाति/दिव्यांग प्रमाण पत्र जहां लागू हो, के अनुसार होगी। यदि सत्यापन से यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग श्रेणी, जैसी भी स्थिति हो, से संबंधित दावा गलत है तो बिना किसी आगामी कारणों तथा असत्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अधीन की जाने वाली आगामी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सेवा तुरन्त समाप्त कर दी जाएगी।

3. उपर्युक्त नियुक्ति अद्यतन तिथि तक तथा समय-समय पर दिल्ली न्यायिक सेवा के अधिकारियों पर यथा लागू अन्य आदेशों/निर्देशों के अनुसार दिल्ली न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 के उपबंधों के अनुसार होगी ।
4. दिल्ली न्यायिक सेवा में उपर्युक्त अभ्यर्थी की परस्पर वरिष्ठता अन्य चुने गए अभ्यर्थियों के समान वही रहेगी जो अद्यतन तिथि तक यथासंशोधित दिल्ली न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 के अनुसार चयन समिति द्वारा तैयार वरीयता सूची में उन्हें दी गई है ।
5. पद का वेतनमान 7वां सीपीसी संशोधित कॉरस्पॉन्डिंग पे मैट्रिक्स और पे लेवल के 10वें स्तर में 56100-177500 रुपये + सामान्य भत्ते जैसा समय-समय पर इस संबंध में लागू हो के अनुसार है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर

संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 14th June, 2021

No. F. 6/38/2019-Judl./Suptlaw/534-539.—In pursuance of the provisions of rule 18 of the Delhi Judicial Service Rules, 1970 as amended up to date, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the High Court of Delhi, is pleased to appoint Ms. Disha Singh as member of the Delhi Judicial Service on probation for a period of two years with effect from the date she assumes charge of her respective office on being posted by the Delhi High Court, New Delhi.

2. The above appointment is on purely provisional basis, and subject to the verification of character and antecedents of the candidate from the concerned authorities and verification of her caste certificate/PH category certificate, where ever applicable. If the verification reveals that the claim to belong to Scheduled Caste and Scheduled Tribe or Physically Handicapped category, as the case may be, is false, the services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code for production of false certificate.

3. The above appointment shall be subject to the provisions of the Delhi Judicial Service Rules, 1970 as amended up to date and other orders/instructions as may be applicable to the officers of the Delhi Judicial Service from time to time.

4. The inter-se seniority of the above named candidate in the Delhi Judicial Service vis-à-vis other selected candidates will remain the same as assigned to her in the merit list prepared by the Selection Committee in accordance with the provisions of the Delhi Judicial Service Rules, 1970 as amended up to date.

5. The post carries the scale of pay of Rs. 56100-177500 in the 10th level of matrix of 7th CPC Revised Corresponding Pay Matrix and Pay Level plus usual allowances as may be applicable in this behalf from time to time.

By Order and in the Name of the Lt. Governor

of the National Capital Territory of Delhi,

SANJAY KUMAR AGGARWAL, Principal Secretary (Law, Justice & L.A.)